सुरक्षा सहित सेवा

दुतगामी डाक/SPEED POST

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय
WESTERN REGION HQRS.

(केवल ऊँचाई के क्लिअरंस् के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र) **NOC**

पत्र संख्या : बीटी-1/एन.ओ.सी.सी/सि एस/मुं/07/एस यू/315/1793-96 दिनांक 21/02/2008. 29

सेवा में,
Shri Bharat M.Patel ,
P-103,Samarth Sarathi,Parle Point,
Surat - 7.

अनापत्तिप्रमाण पत्र सेल
पश्चिमी क्षेत्र केस न.मुं/07/ एस यू/315

विषय : प्रस्तावित भवन निर्माण / चिमनी के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना ।.(केस न .मुं/07/एस यू/315).

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 20/12/2007 के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को Shri Jagdishbhai T. Desai ,सूरत जिन्हे इस पत्र में आगे आवेदक कहा गया है, द्वारा (स्थान संख्या)ब्लाक न.127 से 145 विलेज सरसाना ,सूरत ,तालूक चोरायसी , डिस्ट्रिक्ट सूरत पर प्रस्तावित भवन 44.80 मीटर (चवालीस डेसी आठ शून्य) धरातल के उपर (Above Ground Level) ऊँचाई तक का निर्माण करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित भवन / संरचना के निर्माण पूरा होने पर संरचना ऊँचाई 44.80 मीटर (Above Ground Level) धरातल के उपर + 10.00 मीटर स्थल उत्थापन (Site Elevation) = 54.80 मीटर माध्य समुद्रतल (A.M.S.L.)से अधिक न हो ।**

यह " अनापत्ति प्रमाणपत्र " इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उत्थापन समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात 10.00 मीटर प्रस्तावित भवन / संरचना का अपेक्षित स्थल तथा ए.आर.पी. / धाव पथ के सिरों से इसकी दूरी और दिक्कोन सही दिए गए हैं । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिध्द हो जाए कि उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आकड़ों से भिन्न है और इसके ,द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है, तो जिस संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, के आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावित निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्थापन और अन्य आंकड़ों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्गमन भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जाने-वाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके किसी भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित ऊँचाई से उपर कोई भी रेडियो, टी.वी.ॲन्टेना, तडित चालक / निरोघक सीढियाँ, गुमटी,ऊँची पानी की टंकिया अथवा किसी भी प्रकार की सामुग्री / वस्तुएँ और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएगें ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में तेल या बिजली से चलने वाली भट्टी का ही प्रयोग करना अनिवार्य है ।

Contd --- 2 / -

400099. Fax : 91 22 2615 6001

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा । यदि भवन संरचना / चिमनी का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि 3 (तीन) वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा । जिस दिन भवन संरचना /चिमनी का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र को दी जाए ।

भवन निर्माण के दौरान या बाद में कार्यस्थल पर किसी भी समय प्रकाश, प्रकाशपुंज या रंगीन-प्रकाश आदि का प्रयोग न किया जाए इनके द्वारा वैमानिक भूमि प्रकाशों के साथ भ्रम पैदा हो सकता है

**	44.80	M	AGL
+	10.00	M	RL
	54.80	M	AMSL

26/2/08

(ए.वि .धुरि)
वरिष्ठ प्रबंधक (ए.टीसी/अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र)

प्रतिलिपीः- 1.कार्यपालक निदेशक (ए.टी एम),भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.),राजीव गांधी भवन,सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-3.
2. सहायक टऊन प्लानर, सूरत अर्बन डेवेलेपमेन्ट ऑथोरिटी ,सूरत .
3. प्रबंधक (ए.टि सि),सूरत एरोड्रोम ,सूरत.
4. गॉर्ड फाईल.

(ए.वि.धुरि)
वरिष्ठ प्रबंधक (ए.टीसी/अनापत्ति)